सी.ए. सुधीर हालाखंडी

आइये समझे जी.एस.टी. को

भाग -2

DO NOT COPY

छोटे एवं माध्यम दर्जे के व्यापार एवं उद्योग के लिए

98280-67256

(केवल व्हाट्स एप्प संपर्क के लिये प्रयोग करें)

दिनांक 13 अप्रैल 2017

जी.एस.टी. और दो राज्यों के बीच का व्यापार

(अंतरप्रांतीय बिक्री- Interstate Sale)

-जी.एस.टी. ब्रेकिंग न्यूज़ -

माननीय राष्ट्रपति महोदय ने केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं अंतरप्रांतीय जी.एस.टी. अर्थात सी.जी.एस.टी. एवं आई.जी.एस.टी. बिलों पर कल दिनांक 12 अप्रैल को दस्तखत कर इन्हें एक्ट अर्थात कानून बना दिया है . जी.एस.टी. के भारत में लागू होने की और यह एक बहुत बड़ा कदम है .

अब सभी राज्य सरकारें अपने राज्यों की विधान सभाओं में राज्यों के जी.एस.टी. कानून को पारित करेंगी जिसे एस.जी.एस.टी. कानून के बारे में जाना जाएगा .

जी.एस.टी. के दौरान सी.एस.टी. अर्थात केन्द्रीय बिक्री कर का कोई अस्तित्व नहीं होगा .

आइये हम समझाने की कोशिश करें कि केन्द्रीय बिक्री कर क्या है और यह वेट एवं इसके बाद जी.एस.टी. की रह में क्यों एक मुश्किल माना जाता रहा है .

जब वर्ष 2006 में राज्यों में वेट लागू किया गया था तब केन्द्रीय बिक्री कर अर्थात सी.एस.टी. को सबसे बड़ी बाधा माना गया था और यह वादा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशत से इस दर को गिराकर अंत में इस कर को समाप्त कर दिया जाएगा लेकिन यह वादा पूरा नहीं किया गया और आज भी यह दर दो प्रतिशत पर कायम है और इसके साथ ही केन्द्रीय बिक्री कर पर एकत्र किये जाने वाले सी- फॉर्म की समस्या से पूरा ही व्यापार एवं उद्योग जगत परेशान है .

DO NOT COPY

आइये पहले समझ ले कि केन्द्रीय बिक्री कर क्या है क्यों कि आम तौर पर इसका नाम यह संकेत देता है कि यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया एक कर है जब कि सच्चाई यह है कि यह बिक्री करने वाले राज्य द्वारा दो राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार पर वसूल किया जाने वाला कर है और देश के विकसित राज्य जिन्हें हम निर्माता राज्य भी कह सकते है इस कर से काफी राजस्व एकत्र करते है .

जी.एस.टी. एक अंतिम बिंदु पर अंतिम उपभोक्ता पर लगने वाला कर है अत; केन्द्रीय बिक्री कर का इसमे कोई स्थान नही होगा और इससे विकसित राज्यों अर्थात बिक्री करने वाले राज्यों के राजस्व पर भी नकारात्मक प्रभाव पडेगा जिसके बारे में भी केंद्र को इन राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई करनी पड़ेगी.

जी.एस.टी. के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर अर्थात सी.एस.टी. की समाप्ती सारे देश के डीलर्स को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है लेकिन आगे एक और कर प्रणाली है जो एस.जी.एस.टी.- integrated Goods and Service Tax के नाम से लगने वाली है वह अब डीलर्स को पालन करनी होगी.

अंतर्राजीय बिक्री के दौरान C-forms की जरुरत तो समाप्त हो जायेगी लेकिन ऐसा को आश्वासन हमारे कानून निर्माता रोड परमिट के बारे में नहीं दे रहे है और जिस प्रकार के संकट मिल रहें है उनके अनुसार रोड परमिट जारी रहेंगे और अब इनका स्वरुप ई -परमिट के रूप में होगा जैसा कि अभी भी जारी है लेकिन ये सभी वस्तुओं पर लागू होंगे या नहीं यह भी अभी तय नहीं है.

इसके अतिरिक्त जी.एस.टी. बिक्री पर नहीं बल्कि सप्लाई पर लगेगा इस प्रकार ब्रांच और डिपो ट्रान्सफर भी कर के दायरे में आ जायंगे और माल बेचने और बिक्री के लिए भेजने के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा और इसका आपकी करदेयता पर क्या असर होगा इसका अध्ययन हम आगे करेंगें लेकिन अब F-FORM पर होने वाली बिक्री नहीं होगी.

DO NOT COPY

आइये अब हमारे **भाग -3** में हम देखेंगे समझे कि यह आई.जी.एस.टी. - integrated Goods and Service Tax किस तरह की कर प्रणाली है लेकिन आप यह मान कर चले कि उसमे भी C-form जैसी कोई समस्या नहीं होगी और यह आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी .

नोट :- इसे पढ़ें और उन लोंगों को अग्रेषित (FORWARD) करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है .

-सी.ए.सुधीर हालाखंडी -